समाचार विज्ञपति

अंतिम विकल्प की दर (Last Resort) की शुरूआत

25 सितंबर, 2024 मीडिया पूछताछ

अल्बर्टा की सरकार अल्बर्टा वासियों को उनके बिजली विकल्पों पर नियंत्रण पाने में मदद कर रही है तथा अल्बर्टा के करदाताओं को बिजली की कीमतों में होने वाली वृद्धियों से बचा रही है।

“अलबर्टा में एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धी बिजली बाजार है, जो अल्बर्टा वासियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदाता, योजना और भुगतान विकल्प चुनने की शक्ति देता है। उपभोक्ता 50 से अधिक प्रतिस्पर्धी खुदरा विक्रेताओं से फिक्स या वेरिएबल रेट अनुबंधों के विकल्प के साथ अपनी बिजली खरीद सकते हैं।

जो अल्बर्टा वासी प्रतिस्पर्धी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से अपने स्थानीय प्रदाता की अंतिम विकल्प दर पर नामांकित कर दिया जाता है, जो अतीत में प्रतिस्पर्धी विकल्पों की तुलना में अधिक महंगा और अस्थिर रहा है।

अल्बर्टा की सरकार उपभोक्ताओं को उनके ऊर्जा विकल्पों के बारे में बेहतर जानकारी देने में मदद करके अल्बर्टा के करदाताओं की सुरक्षा और उपयोगिता बिलों को कम करने के लिए कार्रवाई कर रही है। अल्बर्टा वासियों को अपने ऊर्जा विकल्पों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने कि लिए और उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त दर खोजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए नियम और कानून 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हो जाएंगे। *उपयोगिता सामर्थ्य क़ानून संशोधन अधिनियम, 2024* (*Utilities Affordability Statutes Amendment Act, 2024*) के बाद, डिफ़ॉल्ट बिजली दर का नाम रेगुलेटिड रेट ऑप्शन (RRO) से बदलकर रेट अव लास्ट रिज़ॉर्ट (ROLR) किया जा रहा है। नाम परिवर्तन उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली दर की प्रकृति को बेहतर ढंग से दर्शाता है और यह उपभोक्ता जागरूकता पहल का एक हिस्सा है।

"जब हर एक पैसा मायने रखता है तो उपयोगिता बिल एक तंग बजट को बना या बिगाड़ सकते हैं। हमारी सरकार अल्बर्टा वासियों को वे साधन उपलब्ध करा रही है जिनकी उन्हें कड़ी मेहनत से कमाए गए डॉलर बचाने में मदद

मिलेगी और उनके मासिक खर्च को अधिक पूर्वानुमानित बनाया जा सकेगा, साथ ही सबसे अतिसंवेदनशील लोगों को अचानक मूल्य वृद्धि से बचाया जा सकेगा।"

नेथन न्यूडॉर्फ, वहनीयता एवं उपयोगिता मंत्री

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्बर्टा वासियों को उनके बिजली दर विकल्पों के बारे में बेहतर जानकारी हो, अल्बर्टा सरकार ने दर पुष्टिकरण आवश्यकता भी शुरू की है। वहनीयता एवं उपयोगिता मंत्रालय के अंतर्गत यूटिलिटीज़ कन्ज़्यूमर एडवोकेट, अंतिम विकल्प की दर पर रहने वाले सभी ग्राहकों से हर 90 दिन में संपर्क करेगा, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे अंतिम विकल्प की दर पर बने रहना चाहते हैं, तथा उन्हें अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अंतिम विकल्प की दर के प्रदाताओं को ग्राहकों के बिलों पर यह स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि वे अंतिम विकल्प की दर पर हैं, प्रतिस्पर्धी खुदरा बाजार में अपने विकल्पों के बारे में ग्राहकों को सूचित करना होगा, तथा अपने सेवा अनुबंधों की शर्तों और नियमों को अपडेट करना होगा।

हालाँकि, सभी अल्बर्टा वासी प्रतिस्पर्धी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, अंतिम विकल्प की दर, बिजली प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के लिए एकमात्र विकल्प हो सकता है। खराब ऋण या अन्य वित्तीय कठिनाइयां भी अल्बर्टा वासियों, अक्सर बुज़ुर्गों और अन्य अतिसंवेदनशील आबादी को प्रतिस्पर्धी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से रोक सकती हैं। वर्तमान में, अंतिम विकल्प की दर बाजार मूल्य के आधार पर महीने-दर-महीने बदलती रहती है और इसे सरकार द्वारा नहीं, बल्कि अल्बर्टा यूटिलिटीज कमीशन द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इन ग्राहकों को अचानक और अस्थिर मूल्य वृद्धियों से बचाने के लिए, अंतिम विकल्प की दर हर दो साल में निर्धारित की जाएगी और 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 2-वर्षीय अवधि के बीच इसे अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही बदला जा सकेगा। इन नए विनियमों के माध्यम से, अल्बर्टा सरकार प्रतिस्पर्धी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ अल्बर्टा वासियों के लिए अंतिम विकल्प की दर को अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित बना रही है।

अल्बर्टा वासियों को अपने विकल्पों का पता लगाने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त प्रतिस्पर्धी दर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले वर्ष, हजारों परिवारों ने अंतिम विकल्प की दर से हटकर अधिक किफायती विकल्प के लिए प्रतिस्पर्धी अनुबंधों को अपनाया। जो अल्बर्टा वासी अपने उपयोगिता बिलों के संबंध में सहायता चाहते हैं या अपने प्रदाता के साथ विवाद का सामना कर रहे हैं, उन्हें 310-4855 पर या उनकी वेबसाइट के माध्यम से यूटिलिटीज़ कन्ज़्यूमर एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अल्बर्टा वासियों के पास बिजली और प्राकृतिक गैस उपयोगिताओं को खरीदते समय तीन विकल्प होते हैं: अंतिम दर, परिवर्तनीय दर के लिए प्रतिस्पर्धी अनुबंध, या निश्चित दर के लिए प्रतिस्पर्धी अनुबंध।

    - अंतिम उपाय की दर अल्बर्टा यूटिलिटीज़ कमीशन (AUC) द्वारा अनुमोदित है तथा इसका निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। AUC की वेबसाइट पर दर निर्धारण प्रक्रिया और वर्तमान दरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
- लगभग 26 प्रतिशत आवासीय उपभोक्ता अंतिम उपाय के माध्यम से बिजली खरीदते हैं।
- लगभग 29 प्रतिशत पात्र वाणिज्यिक उपभोक्ता तथा 40 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता अंतिम उपाय की दर पर बिजली खरीदते हैं।

संबंधित जानकारी

- यूटिलिटीज़ कन्ज़ूमर एडवोकेट
- अल्बर्टा यूटिलिटीज़ कमीशन

संबंधित समाचार

- नये बाजार नियमों से बिजली की दरें आधी कर दी गईं (5 सितंबर, 2024)
- विद्युत निगरानी संस्था ने अल्बर्टा के विद्युत बाजार सुधारों का समर्थन किया (5 अगस्त, 2024)
- बिजली की कीमतों में बढ़ोतरियों को रोकना (26 जून, 2024)
- उपयोगिता बिलों को अधिक किफायती बनाना (22 अप्रैल, 2024)
- बिजली को अधिक किफायती बनाना (18 अप्रैल, 2024)

मीडिया पूछताछ

Ashley M Stevenson (एश्ली एम स्टीवेन्सन)

587-357-2141
प्रेस सचिव, सामर्थ्य एवं उपयोगिता मंत्रालय